खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 03/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम महावीरसिंह

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 03/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/7

सायल :–		गैर सायल :–
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	बनाम	महावीरसिंह पुत्र श्री थानसिंह जाति राजपुत निवासी विद्या भारती स्कुल के पास सरे मंदिर रोड़ राजपुष्पक कॉलोनी जालोर मैसर्स ओम गणपति मिल्क प्रोड़क्ट आदर्श गोशाला के पिछे पानीडा नाड़ा जालोर (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011
उपस्थिति :– 1. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 03.01.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थी दिनांक 16.03.2023 को दर्ज किया गया है। प्रार्थना पत्र अनुसार सायल भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को दिनांक 15.11.2022 को थानाधिकारी पुलिस थाना तखतगढ़ द्वारा दुरभाष पर इतला दी गयी कि एक पिकअप गाड़ी में घी भरा हुआ है जिसको पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की है कि घी मिलावट होने का संदेह है उसकी सम्पूर्ण जांच कर इस पर मैं दिनांक 16.11.2022 को 8.00 पी.एम. पर मय सरकारी वाहन पुलिस थाना तखगढ़ पहूंचा। थाना परिसर में एक पिकअप वाहन में अलग अलग ब्रांड व अलग अलग पैंकिग में घी भरा हुआ था जिससे पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले रखा था घी के मालिक के बारे में पूछने पर वहां खड़े एक व्यक्ति ने जिसका नाम श्री महावीरसिंह पुत्र श्री थानसिंह मैसर्स ओम गणपति मिल्क प्रोडक्ट आदर्श गोशाला के पिछे पानीडा नाडा जालोर बताया। घी मालिक से नाम व पता पूछने पर श्री महावीरसिंह पुत्र श्री थानसिंह मैसर्स ओम गणपति मिल्क प्रोड़क्ट आदर्श गोशाला के पिछे के पिछे पानीडा नाड़ा जालोर बताया। सायल द्वारा अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली के रुप में दिया जाकर घी मालिक व गवाहों की उपस्थिति में सायल द्वारा थाना परिसर में घी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घी ब्रान्ड ओम गजानन्द 15 किलों में कुल 30 टीनों में भरा हुआ था। मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए फॉर्म नम्बर 5A भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की। किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर साथ आए आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाए एवं प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति मालिक महावीरसिंह को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

घी ब्रांड ओम गजानंद 15 किलो कुल 30 टिनो में भरा हुआ था, में से कुल 800 एमएल वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 280/– रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 03/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम महावीरसिंह

गई। घी ब्रांड ओम गजानन्द 800 एमएल को 04 भागो में बराबर मात्रा में विभाजित कर 04 शिशिया साफ सुखी व खाली थी बराबर-बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईट ढक्कन बन्द कर चारों शिशियों विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई। प्रत्येक नमूने को अलग-अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लपेटे गये कागज के दोनों सिरों को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर-1567 लिखकर नमूने क विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक नमूने को चारों तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूनें पर चार चार ऊपर नीचें दाये बाएं चपडी लगाकर ब्रास सील से सील बंद किया। चारों सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर गैर सायल व गवाहों के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुए करवाए व मैंने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर ही गैर सायल व गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कर मौके पर ही गैर सायल गवाहों को पढकर सुनाई तथा उनके द्वारा मंजूर किये जाने पर गैर सायल व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैंने हस्ताक्षर किये।

नमूना विवरण आर-1567 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में भिजवाने हेतु फॉर्म नम्बर 6 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया था, अंकित कर तैयार किया। एक प्रति नमूनें के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रास सील से किया जिसका प्रयोग इन चारों नमूनों को सील बंद करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया। आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबंद नमूना अशोक विश्नोई कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 17.11.2022 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूनों के शेष द्विवितय एवं चतूर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रास सील से सील कर सील्ड अवस्था में अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को 16.11.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त घी ब्रांड नमूना संख्या आर-1567 के संबंध में प्रदत्त रिपोर्ट एल.एस. 1977/एक्ट/2020/1956 दिनांक 19.11.2022 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त **घी ब्रांड नमूना संख्या आर-1567** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। नमूना सख्या आर-1567 अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i) Food Safety and Standards Act-2006 के तहत अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया। जांच की प्रति जरिये नोटीस श्री श्री महावीरसिंह पुत्र श्री थानसिंह मैसर्स ओम गणपति मिल्क प्रोडक्ट आदर्श गोशाला के पिछे पानीडा नाडा जालोर को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूने को पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर-भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हो। निर्धारित अवधि में उक्त फर्म द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई। गैरसायल द्वारा अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का घी का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित हुए प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अपितु सीधे बहस सुनने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि गैर सायल एक प्रतिष्ठित व्यापारिक फर्म है एवं जब्त किए गए माल के अवमानक (Sub-Standard) होने की उनको कोई जानकारी नही थी। यह भी, कि उक्त माल विक्रय किए जाते वक्त नहीं पकड़ा गया, अपितु

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)

CamScanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 03/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम महावीरसिंह

नाकाबंदी के दौरान पुलिस विभाग द्वारा परिहवन के दौरान जब्त किया गया था। अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष ने खाद्य प्रदार्थ के 'अवमानक' प्रकृति का होने का गैरसायल के संज्ञान में नहीं होने तथा इस प्रकार जानबुझकर अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने की दुहाई देते हुए शास्ति–अधिरोपण में नरमी बरतने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान उठाए गए तर्कों व दलीलों पर मनन तथा विवेचन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट L.S./1977/Act/2020/1956 Date : 19.11.2022 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उक्त रिपोर्ट में प्रश्नगत खाद्य पदार्थ घी (ब्रांड ओम गजानंद) के नमूने **आर–1567 को** अवमानक (Sub-Standard) पाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि गैर सायल महावीर सिंह पुत्र थानसिंह मैसर्स ओम गणपति मिल्क प्रोडक्ट द्वारा अवमानक प्रकृति की खाद्य सामग्री का निर्माण तथा वितरण प्रयोजनार्थ परिवहन कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 2 (ii) की अवहेलना करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के प्रावधान्तर्गत 50,000/– अक्षरे पचास हजार रुपये मात्र की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी महावीर सिंह पुत्र श्री थानसिंह मैसर्स ओम गणपति मिल्क प्रोडक्ट, आदर्श गौशाला के पीछे, पानीड़ा नाड़ा, जालोर से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

इस प्रकरण में जब्तशुदा 30 टिन (15 कि.ग्रा. प्रत्येक) ब्राण्ड ओम गजानन्द का अगर पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निस्तारण नहीं किया हो, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (बाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.03/2024/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
3. श्री भूराराम गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner